सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने गैस पीड़ित बस्तियों का किया निरीक्षण

कहीं पाईप लाइन नाले-नॉलियो में तो कही दूषित पानी की मिली शिकायतें

भोपाल(काप्र)। सुप्रीम कोर्ट के 30 अगस्त 2018 के आदेश के परिपालन संबंध में यूनियन कार्बाइड के आस पास की 42 प्रदूषित मोहल्लों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी समिति के आदेश पर भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनित अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को 19 मोहल्लों का निरीक्षण किया गया था।

मंगलवार को समिति के सदस्यों की टीम ने बाकी बचे मोहल्लों का निरीक्षण कराया जिसकी शुरुआती डीआईजी बंगले से की गई। भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एन्ड एक्शन की रचना ढींगरा ने बताया की मंगलवार को किये गये निरिक्षण के दौरान गैस पीड़ित संगठन के सदस्य समिति के लोगो को उन सभी मोहल्लों में लेकर गए जहां पर सालों बाद आज भी लोगो के पास पीने के लिए साफ पानी के कनेक्शन नहीं है, वहीं सीवेज सिस्टम ना होने से रहवासी गंदे और बदबूदार पानी का सेवन कर रहे है। इस दौरान कबाड़खाने, सुन्दर नगर, शाहीन कालोनी, एकता नगर के रहवासियें ने बताया कि उनके मोहल्ले में पानी का प्रेशर नहीं है, पहले 15 मिनिट सिर्फ गंदा पानी आता है। मो जफ़र ने बताया कि पानी के कनेक्शन नालियों के पास से किये गये है, जिससे दूषित पानी आता है। टिम्बर मार्केट के रहवासी जितेंद्र ने अपने घर में पानी दिखाया जो काफी गंदा था, और बाल्टी की नीचे काई जमी हुई थी, यह पानी अधिकारियों के सामने ही भरा गया। रामकली ने अपने मोहल्ले का पानी का वॉल्व दिखाया जो नाले में था। वहीं राम नगर की रहवासी सुमन ने बताया कि उनके यहां बिलकुल भी पानी नहीं आता। नवजीवन कालोनी की रहवासी रानी ने टीम को बताया कि उनकी पानी की लाइन नाली में से है, जिसकी वजह से उनके घर जो पानी आता है, वो पीने लायक है ही नहीं। रिसालदार की अनवरी बी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके आस-पास के कई घरों में भी कोई पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है, और वह जहरीला पानी पीने को मजबूर है। कार्बाइड कारखाने से सटे अटल अयूब नगर के रहवासी विजय ने अपने घर के पीछे का नाला दिखाया जहां से पीने की पाइपलाइन डाली गई है, और वहां का पानी भी पीने लायक नहीं है । आज भी निरीक्षण में नगर निगम के एई,ईई और सुपरवाइजर शामिल हुए, गैस राहत से संयुक्त डायरेक्टर डॉ. बजाज, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से डॉ. पवार और डॉ.मिश्रा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, भोपाल ग्रुप फॉर इन्फ़ोर्मेशन एन्ड एक्शन से रचना ढींगरा और रीना किरार, भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा से नसरीन बी, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा से बालकृष्ण नामदेव शामिल हुए। समिति अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जस्टिस संजीव सचदेवा को देगी। समिति के सदस्य भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एंड एक्शन भी अपनी विस्तृत रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष को सौप चुके है।

त्रिवेणी योग में आज समृद्धि की अक्षय तृतीया

सराफा और बर्तन बाजार आज देर रात तक खुले रहेंगे

भोपाल (काप्र)।

पवित्र वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की समृद्धि भरी तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व बुधवार को विभिन्न योगों में मनाया जाएगा। शहर के मंदिरों में अक्षय तृतीया पर विभिन्न अनुष्ठानों होंगे, ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम की शोभायात्रा निकालेगा वहीं सामूहिक विवाह की धूमधाम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगी।

अक्षय यानी कभी नष्ट न होने वाली खरीदारी के लिए शहर का सराफा और बर्तन बाजार सुबह से देर रात तक खुला रहेगा वहीं शहर के इलेक्ट्रॉनिक बाजारों के साथ आटोमोबाइल संस्थान पर भी शुभ मुहूर्त में खरीद की जाएगी। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर जो चीज पाई या खरीदीं जाती है वो हमेशा पास रहेगी। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसलिए जीवन के सबसे बड़े मौकों और फैसलों के लिए ये दिन शुभ है। शादी के लिए भी इसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा सोना घर में स्थायी समृद्धि लाता है। यह समय के साथ बढ़ता ही जाता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी सोने के आभूषण पहनकर प्रकट हुई थीं। इसलिए, सोने को लक्ष्मी जी से प्रकट हुआ मानते हैं। सोना, चांदी, व्हीकल, प्रॉपर्टी, कपड़े व अन्य कीमती चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। नए बिजनेस या नौकरी की शुरुआत, विवाह, गृह प्रवेश या निवेश अक्षय फल देता है। आचार्य पं रामचन्द्र शर्मा वैदिक ने बताया कि 29 अप्रैल को शाम 5.32 बजे से 30 अप्रैल की दोपहर 2.25 बजे तक अक्षय तृतीया की तिथि रहेगी। उदय तिथि में 30 अप्रैल को शुभ अक्षय तृतीया मनाई जाएगी।

आरजीपीवी के कुलसचिव का कर्मचारियों ने किया घेराव

भोपाल (काप्र)। मप्र कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे के नेतृत्व में स्थाई कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों के समर्थन में रैली निकाली तथा कुलसचिव आरजीपीवी दीपक सेन का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अमर अहिरे जगदीश शर्मा संतोष सूर्यवंशी विजय रैकवार द्वारका प्रसाद शर्मा मुकेश धाकड़ राजबहोर सेन कुलदीप सिंह तोमर साजली इजहार श्रीमती प्रियंका शर्मा आदि कर्मचारी शामिल थे। अशोक पांडे ने बताया कि आरजीपीवी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी योजना का लाभ देने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का श्रेणी परिवर्तन करने एवं शासकीय कर्मचारियों के समान स्थाई कर्मियों को भी अवकाश सुविधा का लाभ देने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद कुलसचिव एवं कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। कुलपति ने ज्ञापन पर चर्चा करते हुए मांगों को न्यायोचित बताते हुए एक माह में आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।

भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव 4 मई को

भोपाल (काप्र)। मध्यप्रदेश युवा कायस्थ संगठन 4 मई को भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव मनाएगा। इस अवसर पर जवाहर चौक के चित्रगुप्त मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ मध्यप्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग करेंगे। शोभायात्रा में ऊंट, घोड़े, बग्घी, डीजे और भगवान चित्रगुप्त की 10 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी। शोभा यात्रा जवाहर चौक से रंगमहल चौराहा, टीटी नगर थाना, न्यू मार्केट, जी.टी.बी. चौराहा होते हुए चित्रगुप्त मंदिर पर समाप्त होगी। यात्रा के समापन के बाद रवि खरे ग्रुप की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। फिर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की सहभागिता होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश युवा कायस्थ संगठन के अध्यक्ष एवं संयोजक संजीव श्रीवास्तव, डॉ. एके श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, उदय श्रीवास्तव, दीप श्रीवास्तव, राजीव सक्सेना तथा अन्य पदाधिकारी करेंगे। आयोजन में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, चित्रगुप्त समाज भोपाल, कायस्थ संसद भोपाल, ईरावती चित्रगुप्त संस्कृति एवं सामाजिक न्यास कोटरा, चित्रगुप्त समाज कोलार, श्री चित्रगुप्त मंडल और कायस्थ मंडल नगरीय क्षेत्र होशंगाबाद रोड भोपाल समेत कई संस्थाएं सहयोग कर रही हैं।

राजवाड़ा इंदौर में 20 मई को होगी मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की स्मृति में 20 मई को मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होगी। इसमें होल्कर साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराज मल्हार राव होल्कर का भी स्मरण किया जाएगा।

डॉ. यादव ने बताया कि देवी अहिल्या बाई होल्कर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन 20 मई को हो रहा है। यह सुखद संयोग है कि 20 मई को ही लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर विवाह वर्षगांठ भी होती है। मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले डॉ. यादव ने मंत्रीगण को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रि-परिषद की अगली बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि अलग-अलग क्षेत्र में सक्रिय एक लाख लोगों को विकास गतिविधियों से जोड़ते हुए विकास में सहभागिता के आधार का विस्तार किया जाए। इस उद्देश्य से जिला विकास समिति की कल्पना की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति के उपाध्यक्ष स्थानीय प्रभारी मंत्री होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, जनपद अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ही

» **जिला विकास सलाहकार समितियों का होगा गठन**

» **विषय-विशेषज्ञों को विकास की प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा**

» **गैस से चलने वाले वाहनों के संबंध में पर्यावरण विभाग जारी करेगा एडवायजरी**

चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, उद्योग इत्यादि 20 से अधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़कर इन्हें विकास मॉडल में सहभागी बनाया जाएगा। इससे जिले के विकास में इनकी विशेषज्ञता का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा और वर्ष 2047 तक के अमृत काल के एजेंडे के क्रियान्वयन में इनकी विशेषज्ञतापूर्ण सहभागिता सुनिश्चित होगी। डॉ. यादव ने धार में पीएम मित्रा पार्क की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री का आभार मानते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2 हजार 62 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार को इस संबंध में धार में 10 हजार करोड़ रूपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। धार जिले के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि पीथमपुर और अब दूसरी और घाटा बिल्लौद में विकास गतिविधियों का संचालन होगा। पीएम मित्रा पार्क से तीन लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इससे धार, झाबुआ सहित संपूर्ण मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ाने को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। डॉ. यादव ने कहा है कि बीते दिन मंदसौर में हुई दुर्घटना में स्वयं की जान की परवाह न करते हुए 4 लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले मनोहर सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। उनके परिजन को शासकीय नौकरी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मरणोपरांत उनका सम्मान भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस से संचालित गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एडवायजरी जारी करने के लिए पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया गया है।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

नई स्थानांतरण नीति को ....

वेतनमान मिलता है, उनके लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला अनुपात में लिया जाएगा। बढ़े हुए भत्ते का एरियर (बकाया) जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक 5 किश्तों में दिया जाएगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच सेवानिवृत्त या मृत हो चुके हैं, उन्हें या उनके परिजनों को एरियर की राशि एक बार में दी जाएगी। पेंशनर्स को 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 53प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर 246प्रतिशत पेंशन राहत दी जाएगी। कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्त निर्णय लिया है। इसके तहत अब पराली जलाने के मामलो पर सरकार सख्त कदम उठाएगी। यदि कोई किसान पराली जलाएगा तो उसको एक साल का मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उनकी फसल को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा।

हाई लेवल मीटिंग के बाद ....

थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक (डीजी) दलजीत सिंह चौधरी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के महानिदेशक ब्रिघु श्रीनिवासन और असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक का एजेंडा कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी की समीक्षा करना और सीमा पार आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से सैन्य और रणनीतिक विकल्पों पर विचार-विमर्श करना था। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि आतंकवाद पर करारा प्रहार हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमता में पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तौर-तरीकों, लक्ष्यों और टाइमिंग के बारे में निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है।पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस हमले में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों का हाथ सामने आया है। हमले के अगले दिन ही भारत ने तात्कालिक नीतिगत कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की और अल्पकालिक वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने का आदेश दिया। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या भी 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवादी और उनके समर्थकों का ऐसा अंजाम होगा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मंगलवार की बैठक को उस प्रण को अमली जामा पहनाने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बैठक के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही पहलगाम के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। पहलगाम हमले के बाद, सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशिष्ट इकाइयों को ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में रखा गया है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकवादियों के लॉन्चपैड्स की गहन निगरानी कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के जोरदार एक्शन की तैयारी है. पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खूली छूट दे दी है. प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने दो-टूक कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है. उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, यह तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को दिया जा चुका है। मालूम हो कि मोदी के आवास पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ-साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ डेढ़ घंटे तक बैठक चली. इस बैठक में थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी मौजूद थे. इस बैठक के बाद पीएमओ से जारी बयान में सेना को कार्रवाई का फ्री हैंड दिए जाने की बात कही गई. सेना प्रमुखों के साथ हुई बैठक समाप्त होने के थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं. सेना प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग को अहम माना जा रहा है।

काजी अदालतों और ...

नहीं कर सकत निर्णय में कहा गया, ऐसी घोषणाएँ, भले ही स्वेच्छा से स्वीकार की गई हों, सहमति देने वाले पक्षों के बीच ही लागू होती हैं और तीसरे पक्ष को बाध्य नहीं कर सकतीं। याचिकाकर्ता की शादी 24 सितंबर, 2002 को इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। यह दोनों पक्षों की दूसरी शादी थी। 2005 में, पति ने काजी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसे समझौते के बाद खारिज कर दिया गया था। तीन साल बाद, 2008 में, उसने दारुल कजा कोर्ट में दूसरी तलाक की कार्यवाही शुरू की। उसी वर्ष, पत्नी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की। 2009 में शरिया निकाय द्वारा तलाक की अनुमति दिए जाने के बाद, एक औपचारिक तलाकनामा सुनाया गया। हालाँकि, पारिवारिक न्यायालय ने महिला के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि पति ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसने विवाह टूटने के लिए उसके व्यवहार को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि यह दंपति की दूसरी शादी थी, इसलिए दहेज की मांग का कोई अनुमान नहीं था - एक तर्क जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अटकलबाजी और कानूनी सिद्धांतों के साथ असंगत बताते हुए खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र की तरह फ्री होल्ड ओनरशिप मिले सिंधी विस्थापितों को

भोपाल (हिनप्र)।

सिंधी सेंट्रल पंचायत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी सिंधी परिवारों को उनकी संपत्तियों का फ्री होल्ड ओनरशिप की मांग की है। पंचायत ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को रविवार को मध्य प्रदेश सिंधु भवन ट्रस्ट में आयोजित एक समारोह के दौरान यह ज्ञापन सौंपा।

पंचायत के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश इसरानी और महासचिव सुरेश जसवानी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लेते हुए राज्य में बसे सिंधी परिवारों को, जो 70 साल पहले विभाजन के दौरान वहां आए थे, मात्र 2.5त्न रेडी रेकनर पर अपनी प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड करने का अधिकार दिया है। इस फैसले से महाराष्ट्र के लगभग 5 लाख आवासीय और 2 लाख व्यावसायिक संपत्ति धारकों को लाभ मिलेगा और 70 वर्षों से चली आ रही सिंधी हिंदू विस्थापितों की समस्या का समाधान होगा। यह प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू भी हो चुकी है।

इसरानी और जसवानी ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद सिंध (अब पाकिस्तान) से आकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बसे सिंधी हिंदुओं को क्लेम में

मकान, दुकानें और जमीनें तो आवंटित की गईं, लेकिन उन्हें आज तक उनका पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिल पाया है।

इसके चलते सिंधी विस्थापित परिवारों को अपनी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त और निर्माण आदि कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कथित झूठी शिकायतों के आधार पर नजूल और नगर निगम द्वारा सिंधी विस्थापितों के निर्माण कार्यों को अवैध बताकर तोड़ने की धमकी दी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड ओनरशिप प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

दादा वासवानी के नाम पर हो अस्पताल का नामकरण

भोपाल (हिनप्र)। साधु वासवानी मिशन, भोपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक एवं मध्य प्रदेश भाजपा महासचिव प्रभारी श्री भगवानदास सबनानी से मुलाकात की। इस दौरान मिशन ने संत हिरदाराम नगर में देश के महान संत दादा जे.पी. वासवानी के नाम पर एक चौक बनाने और अधूरे पड़े सिविल अस्पताल का नामकरण साधु वासवानी सिविल अस्पताल करने की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक सबनानी को बताया कि दादा जे.पी. वासवानी के नाम पर एक चौक बनने से जनता को उनके अध्यात्म और सेवा कार्यों से प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने संत नगर में निर्माणाधीन सिविल अस्पताल का नामकरण तुरंत साधु वासवानी सिविल अस्पताल करने का भी आग्रह किया। साधु वासवानी मिशन, भोपाल की मुख्य डॉ. राजकुमारी चोटरानी, दीपक संतानी, अजय, डॉ. ऋषभ चोटरानी सहित मिशन के अन्य सदस्य भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। उन्होंने विधायक सबनानी से इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है।

सामूहिक गायत्री मंत्र पाठ एवं हवन हुआ

भोपाल (हिनप्र)। अनंदराम टी. शाहानी कन्या उच्चतर विद्यालय और सिंधु माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को सामूहिक रूप से 1008 बार गायत्री मंत्र का पाठ और हवन का आयोजन किया गया। सभा के अध्यक्ष वासुदेव वाधवानी कहा कि विद्यालय में किए गए सामूहिक हवन से सुख, समृद्धि और कामयाबी के द्वार खुलेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपनी बुरी आदतों को हवन कुंड की अग्नि में जलाकर समाप्त करें और नए सत्र की शुरुआत नए उत्साह के साथ करें। विद्यालय की प्राचार्या ज्योति चौहान ने हवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, समृद्धि और कामयाबी के रास्ते स्वत: ही खुल जाते हैं और मन को आत्मिक शांति मिलती है।

मुख्यमंत्री धार जिले के उमरबन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे शामिल

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार जिले के उमरबन में आज मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह आयोजन में शामिल होंगे। डॉ. यादव धार में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 2140.26 करोड़ रुपये है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सवित्री ठाकुर, प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन केशरपुरा फाटा, जनपद पंचायत उमरबन में दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। सामूहिक विवाह मे बड़ी संख्या में जोड़ों के विवाह सम्पन्न कराए जाएंगे। साथ ही क्षेत्र में अधोसंरचना जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े अनेक परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा।

पद्म भूषण बालकृष्ण शर्मा नवीन का किया पुण्य स्मरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पद्म भूषण से सम्मानित, साहित्यकार पं. बालकृष्ण शर्मा, नवीन की पुण्य तिथि पर स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश के गौरव, पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वतंत्रता आन्दोलन में अपनी ओजस्वी लेखनी से राष्ट्रीय जागृति के स्वरों को बुलंद किया।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कलां तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.0143/अ-3/2024-25
ग्राम का नाम : बावडिया कलां
प.ह.नं.18 तहसील कोलार जिला भोपाल

सूचनापत्र (वास्ते बटांन)

प्रति,1.श्री स्वदेश डेवलपर्स द्वारा श्री नितिन अग्रवाल निवासी बावडिया कलां भोपाल। 2. श्री डी. के. कन्सक्ट्रशन द्वारा श्री दिनेश गोयल निवासी अरेरा कॉलोनी भोपाल। 3. श्रीमती चंदनबाई पत्नी स्व. श्री चन्दन सिंग, श्री भीकम सिंग व अन्य निवासी बावडिया कला भोपाल। 4. श्रीमती सविता साहू पत्नी श्री सुरेन्द्र साहू निवासी-45 जहाँगीराबाद भोपाल। 5. सर्व साधारण एवं समस्त हिताद पक्षकार को सूचनार्थ। **विषय**:-बटान किये जाने हेतु बाबत सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सविता साहू पत्नी श्री सुरेन्द्र साहू निवासी 45 जहांगीराबाद भोपाल (म.प्र) द्वारा ग्राम बावडिया कला प.ह.नं. 18 में स्थित खसरा 6/1/2/1/2 6/1/2/2/2, 6/1/2/1/1/1/2 रकबा कमशः 0.0970, 0.34 80, 0.2510 कुल रकबा 0.6960 भूमि का बटान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक 05/05/2025 को समय प्रातः 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटान से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में बटांन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटान की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी का पत्ता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनाक 04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार भोपाल

305

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.01 रापडिया तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.0371/अ-6-अ/2024-25
ग्राम का नाम : समरधा कलियासोत
प.ह.नं.04 तहसील कोलार जिला भोपाल

सूचनापत्र (वास्ते अभिलेख दुरूस्ती)

प्रति,1. श्री सुनील अग्रवाल पुत्र द्वारका प्रसाद अग्रवाल निवासी-भोपाल। 2. श्री फिरोज मो. खुर्शीद मो.खा पिता सादत मो.खा एवं रजिया खान पत्नी जमशेदखान निवासी भोपाल। 3. श्रीमती सुफिया फैयाल पत्नी सैय्यद फैयाल निवासी कोहेफिजा भोपाल। 4. श्री वासुदेव वाधवानी पुत्र विंकमदास महेश घावडीया पिता हरिशचंद्र निवासी-भोपाल। 5. श्री गुरमीत सिंह पुत्र सरदार गुरमुख सिंह निवासी भोपाल। 6. श्री दीपक अग्रवाल श्री प्रकाश अग्रवाल पिता श्री सुरेश चंद्र निवासी भोपाल। 7. श्री विजय साहू पुत्र लक्ष्मीनारायण साहू निवासी-जी-3 आचल अपार्टमेन्ट कॉलोनी भोपाल। 8 श्री नन्नूलाल श्री रामनारायण श्री प्रेमनारायण श्री बृजमोहन पिता श्री रामरतन निवासी भोपाल। 9 श्री नितिन अग्रवाल पुत्र श्री व्ही के गुप्ता निवासी चुनाभट्टी कोलार रोड भोपाल। 10. श्रीमती रीना दासवानी पत्नी श्री श्रीकिशन दासवानी निवासी कोहेफिला भोपाल। 11. श्रीमती गीता देवी पत्नी डॉ पी. के. वाधवानी निवासी ईदगाह हिल्स भोपाल। 12. सर्व साधारण एवं समस्त हितंबद्ध पक्षकार को सूचनार्थ। **विषय**:-अभिलेख दुरूस्ती के सम्बंध में सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रीना दासवानी पत्नी श्री श्रीकिशन दासवानी निवासी कोहेफिला भोपाल एवं श्रीमती गीता देवी पत्नी डॉ पी.के. वाधवानी निवासी ईदगाह हिल्स भोपाल द्वारा ग्राम समरथा कलियासोत प.ह.नं-04 में स्थित भूमि खसरा नंबर 241/1, 241/2 रकबा कमशः 0.3400, 0.3300 कुल रकबा 0.6700 हेक्टर भूमि का अभिलेख दुरूस्ती यावत् प्रकरण श्रीमान अ.वि. अधि. महो. के रा.प्र.क 0371/अ-6-अ/2024-25 में श्रीमान के द्वारा जॉच प्रतिवेदन चाहा गया है। उक्त खसरा नंबरों की भूमि का अभिलेख दुरूस्ती स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक19/05/2025 को 4.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त अभिलेख दुरुस्ती से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं सभय पर स्थल पर भूमि के स्वत्य संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित मौके पर उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थित्ति की दशा में अभिलेख दुरूस्ती स्थल निरीक्षण का कार्य रोका नहीं जायेगा। बाद प्रस्तुत्त आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में अभिलेख दुरुस्ती स्थल निरीक्षण की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वय से स्थग पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 29/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार भोपाल

306